

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
(मुख्यालय) अनुश्रवण

सं०सं०-ल०सि०न०- RIDF 318/19 -
169/2018 -
प्रेषक,

1455 (मो०)

/पटना, दिनांक-21/7/2020

ई० रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमंडल.....।

सभी अधीक्षण अभियन्ता,
लघु सिंचाई अंचल.....।

सभी मुख्य अभियन्ता,
लघु जल संसाधन विभाग.....।

विषय:- RIDF योजनान्तर्गत योजनाओं का Reimbursement claim भेजने के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक-1142 (मो०) दिनांक-10.06.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा RIDF अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं पर किये गये व्यय का प्रतिपूर्ति दावा विपत्र मांगा गया था। अभी तक मुख्य अभियन्ता के माध्यम से एक भी प्रतिपूर्ति दावा विपत्र अनुश्रवण कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

उल्लेखनीय है कि RIDF योजनाओं पर अब तक निम्नांकित व्यय हो चुका है:-

- (1) RIDF (जल-जीवन-हरियाली)-140.25 करोड़
 - (2) RIDF (सतही) - 24.60 करोड़
- कुल- 164.85 करोड़

अनुरोध है कि सभी योजनाओं पर किए गए व्यय का Reimbursement claim तीन दिनों के अन्दर मुख्य अभियन्ता के प्रतिहस्ताक्षर के साथ उपलब्ध कराया जाय ताकि प्रतिपूर्ति दावा विपत्र नाबार्ड को भेजा जा सके।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभूजन

21/7/2020
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।